BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.1086 OF 2018

(EARLIER O.A.NO.140 OF 2014)

IN THE MATTER OF:

NANGA RAM DANGI ...APPLICANT

VERSUS

SECRETARY DEPARTMENT OF ENVIRONMENT & FOREST & ORS ...RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS
1.	Compliance Report on behalf of Department of Mines in Terms of order dated.06.10.2020 passed by this Hon'ble Tribunal	1 – 3
2.	**ANNEXURE-1:** A copy of order dated.08.10.2020 and 13.10.2020 by Chief Secretary, Rajasthan and order dated 15.12.2020, 05.02.2021 by District Collector, Udaipur	4 - 12
3.	**ANNEXURE-2:** A copy of drone survey reports dated 20.06.2020 and 22.06.2020, 08.08.2020, 09.08.2020 and 10.10.2020. A copy of letter dated 06.01.2021 and 21.01.2021 regarding CCTV camera installation on hotspots.	13 - 19
4.	**ANNEXURE-3:** A copy of letter dated 10.10.2020 and 13.10.2020 to DOIT, Udaipur regarding formation of Portal. Letter dated 06.01.2021, 03.02.2021 and 09.02.2021 regarding officer appointments	20– 25
5.	**ANNEXURE-4**: A Copy of Letter regarding Panchayat level video conferencing on dated 26.10.2020 and discussion points in VC.	26-30

6.	**ANNEXURE-5**: A Copy of officer order dated 10.10.2020, 10.12.2020 and 21.01.2021 and list of 8 FIR's Jaisamand catchment area.	31 - 35
7.	**ANNEXURE-6:** A copy of the order dated 06.10.2020 passed by this Hon'ble Tribunal in O.A No.1086 of 2018	36 - 42
8.	Proof of Service	43

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

(PRINCIPAL BENCH), NEW DELHI

Original Application No. 1086 OF 2018

(Earlier O.A. NO. 140 OF 2014)

NOTARY Reg. No. Smt. SHANTI DAYA AYAD, UDAIPUR Exp. Dt. 29-09-2025 DISTT. UDAIPUR (RAJASTHAN) NOTARIAL NOTARIAL

IN THE MATTER OF :

Nanga Ram Dangi...Applicant

Versus

Secretary Department of Environment and
Forest & Others...Respondents

AFFIDAVIT CUM COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF, RAJASTHAN OF THE ORDER DATED 06.10.2020 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

Serial No. 41/2021 Date 10/02/2021 IDENTIFIED

I,Om Prakash Kabra, S/o C.L. Kabra aged about 49 years, working as Supdt. Mining Engineer, Udaipur, Officer In charge,Rajasthan, do hereby solemnly State and affirm as under.

1. Hon'ble Tribunal directed the Chief Secretary, Rajasthan to consider appropriate course of action in light of various orders passed by Tribunal and circulate appropriate guidelines at grass root level, particularly the District Magistrates and Superintendents of Police. In compliance of the directions, Chief Secretary of Rajasthan had issued detailed guidelines and instructions vide order dated 08.10.2020 and 13.10.2020 to Secretaries of concerned departments, Director General of Police, All Collectors and SP's and Director Mines and Geology regarding compliance of various orders passed by the Tribunal in this matter line to line. District collector constituted checking teams including SDO, Dy. SP, Tehsildar, Mining dept, Forest dept and Transport department on 15.12.2020 and again on 05.02.2021 for action against illegal mining/transportation of bajri in Jaisamand catchment area. Special campaigns comprising of officers of all concern departments jointly were also conducted from 16.10.2020 to 30.10.2020 and continuing from 08.02.2021 to 23.02.2021.

NOTARY Reg. No. Smt. SHANTI DAYA AYAD, UDAIPUR Exp. Dt. 29-09-2025 DISTT. UDAIPUR (RAJASTHAN)

Apart from the campaigns, regular vigilance is being conducted by SIT constituted by District Collector and by the officials of Mines department.

Scanned with CamScanner

2. Drone survey was conducted previously on 20.06.2020 and 22.06.2020 and again on date 04.02.2021.

For development of Electronic surveillance system and CCTV cameras at the hotspots; District Collector Udaipur has constituted a Committee vide order dated 06.01.2021 for identifications of hotspots and installation of CCTV cameras.

On behalf of UIT, a nodal officer appointed on 21.01.2021 for identification of hotspots, CCTV installation and estimation process. Letter dated 06.01.2021 and 21.01.2021 is enclosed.

3. Hon'ble Tribunal directed to establish an App to be introduced for complainant for giving information about illegal activities and methodology for assessment and recovery of compensation. The mechanism can function preferably under District Magistrate.

For formation of separate grievances Redressal Portal for iilegalBajri Mining and Transportation, Department of IT, Udaipur has been directed by the District Magistrate Udaipur. Letter Dated 10.10.2020 and 13.10.2020 regarding formation of Portal is enclosed.

For formation of portal Mining Engineer Udaipur is appointed as Level 1, Supdt. Mining Engineer as Level2, Addl. Director Admn. As Level- 3 officer and appointment of Level 4 officer is under progress. Letter dated 06.01.2021, 03.02.2021 and 09.02.2021 are enclosed.

4. For awareness about stopping illegal mining/ transportation of Bajri at the panchayat Level, all concern Panchayats have been informed and instructed by district Collector regarding stoppage of illegal sand mining in Jaisamand Catchment area through video conferencing on dated 27-10-2020.

NOTARY Reg.No. Smt. SHANTI DAYA AYAO, UDAIPUR Exp. Dt. 29-03-2025 DISTT. UDAIPUR (RAJASTHAN)

District Collector, Udaipur also issued Demi - Official letters to all Panchayats and concern officers on 11-01-2021 regarding spreading of public awareness and stoppage of illegal sand mining in Jaisamand Catchment area.

5. The tribunal also directed in the order that The District District Magistrate may allocate a particular authorized officer to deal with applications for release of vehicles consistent with the direction of the Tribunal.

In this regard Collector, Udaipur has wrote to Additional Chief Secretary (Mines) to providing powers under CrPC for release of seized vehicles. . The matter is in consideration before Government of Rajasthan.

Scanned with CamScanner

6. It is respectfully submitted that the Additional Director (Mines) Udaipur Zone of Department of Mines and Geology, Udaipur constituted teams of officers along with supporting staffs for round the clock checking in Jaisamand lake catchment area by office order dated 10.10.2020, 10.12.2020 and 21.01.2021. The department is checking with the support of police and revenue department regularly and report are being complied by Mining Engineer, Udaipur. All the concerned departments of State are putting their joint efforts to completely close the illegal mining. During October 2020 to December 2020 total 08 FIRs has been lodged against illegal mining and transportation of Bajri in Police Stations situated in Jaisamand catchment area. Copy of the order dated 10.10.2020, 10.12.2020, 21.01.2021 and list of 8 cases is enclosed.

NOTARY Reg. No. Smt. SHANTI DAYA AYAD, UDAIPUR Exp. Dt. 25-0_-2025 DISTT. UDAIPUR (RAJASTHAN)

DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at UDAIPUR on this the 10 day of February, 2021

DEPONENT

SOLEMNLY AFF... BEFORE ME ... ADMITTED ... TO BE TRUE AND ...

SMT. SHANTI DAYA NOTARY UDAIPUR (RAJ.)

10/02/2021

Scanned with CamScanner

Annexure - 1 ④

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.20(118)खान/ग्रुप–2/2014-पार्ट(बजरी) जयपुर, दिनांक : 08 OCT 2020

समस्त जिला कलक्टर,
पुलिस कमिश्नर, जयपुर/जोधपुर,
समस्त पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण)

विषयः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी सं. 34811/2013 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 व एसएलपी सं. 10587/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 की पालना के संबंध में।

प्रसंगः समसंख्यक पत्रांक प.20(8)खान/ग्रुप–2/2013 दिनांक 17.11.2017, 09.05.2018, 10.05.2018, 19.07.2018, 12.06.2019 एवं विडियो कान्फ्रेंस दिनांक 26.06.2019/28.02.2020 के क्रम में।

विषयान्तर्गत मामले में संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. संख्या 34811/2013 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2017 से बिना रिप्लेनिशमेंट स्टडी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण क्लीयरेन्स जारी होने तक नदियों से बजरी खनन पर रोक लगाई गई। न्यायालय आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.11.2017 से यह निर्देश दिये गये कि क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जावें एवं अवैध खनन न हो, यह सुनिश्चित करें।

विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.05.2018 से यह भी निर्देशित किया गया कि जिले में राजस्व, पुलिस, वन, परिवहन एवं खान विभाग के अधिकारियों में परस्पर समन्वय स्थापित कर न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में खनिज बजरी के अवैध खनन एवं निर्गमन पर पूर्णतया रोक लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें। खनिज बजरी के अवैध खनन एवं निर्गमन पर प्रभावी रोकथाम हेतु दिनांक 10.05.2018 से प्रत्येक जिले में विशेष जांच दल गठित कर कार्यवाही की जाने हेतु भी निर्देशित किया गया तथा पुनः पत्र दिनांक 19.07.2018 व दिनांक 12.06.2019 से स्मरण कराया गया।

दिनांक 26.06.2019 को मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस कमिश्नर, निदेशक खान, समस्त जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, उप वन संरक्षक, क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी एवं खान विभाग के अधिकारियों के साथ विडियो कान्फ्रेन्स ली गई। उक्त विडियो कान्फ्रेन्स के जरिये बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध जिला/उपखण्ड स्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। विडियो कान्फ्रेसिंग में यह भी निर्देश दिये गये कि यथासम्भव कार्यवाही संयुक्त टीम बनाकर की जावें।

Scanned with CamScanner

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी सं. 10587/2019 में दिनांक 19.02.2020 को पारित आदेश के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 28.02.2020 को प्रदेश में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बंध में पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था), शासन सचिव गृह, आयुक्त पुलिस जयपुर/जोधपुर, निदेशक खान, समस्त जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, उप वन संरक्षक, क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी एवं खान विभाग के अधिकारियों के साथ विडियो कान्फ्रेन्स ली गई। विडियो कान्फ्रेसिंग में खनिज बजरी के अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बंध में विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये।

राज्य सरकार द्वारा खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्ड़ारण के विरूद्ध कार्यवाही की गई हैं, उसके उपरांत भी अवैध खननं की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा है कि खनिज बजरी के अवैध खनन पर पूर्णतया रोक लगे। सभी जिला कलक्टर से अपेक्षा है कि खान विभाग द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्ड़ारण के विरूद्ध समय-समय पर आयोजित विशेष अभियान को सफल नेतृत्व प्रदान करते हुये राजस्व, पुलिस, वन, परिवहन एवं खान विभाग के अधिकारियों का संयुक्त दल गठित कर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षकों से भी अपेक्षा है कि वे संयुक्त कार्यवाही के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जावेगा।

(राजीव स्वरूप)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, खान एंव पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर
7. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक
9. आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. निदेशक, खान एवं भू-विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner

आवश्यक / ई–मेल

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकःप–11(1)(213)खान / ग्रुप–2 / 2014 जयपुर, दिनांक : 13 OCT 2020

परिपत्र

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रिट याचिका संख्या 4239 / 2019 खेम सिंह बनाम राज्य में दिये गये निर्देश दिनांक 03.09.2019 की पालना में राज्य में खनिज बजरी के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के संबंध में दिनांक 06.05.2020 को आदेश पारित कर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

इसी संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 1086 / 2018 में अवैध खनन रोके जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः विभाग द्वारा जारी पूर्व आदेश दिनांक 06.05.2020 की निरन्तरता में निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. खनिज बजरी के अवैध खनन / निर्गमन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु संजय गर्ग बनाम राजस्थान राज्य व अन्य की याचिका संख्या 9458 / 2018 में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की पालना में मुख्य सचिव, राजस्थान के पत्र दिनांक 10.05.2018 से राज्य के सभी जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एस.आई.टी. गठित की हुई है। सभी जिला कलक्टर खनिज बजरी के अवैध खनन / निर्गमन के संबंध में एस.आई.टी. द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा प्रत्येक माह के द्वितीय सोमवार को करेंगे तथा समीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

2. जिला कलक्टर्स से प्राप्त रिपोर्ट्स की समीक्षा हेतु शासन स्तर पर पृथक से सेल गठित किया जावेगा तथा प्रगति रिपोर्ट से अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान विभाग को अवगत करवाया जावेगा।

3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की मुख्य पीठ, नई दिल्ली द्वारा एन.जी.टी. एक्ट, 2010 की धारा 15 के अन्तर्गत ओ.ए. संख्या 140 / 2014 (198 / 2017) में पारित आदेश दिनांक 19.09.2018 में जयसमंद झील के केचमेंट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन के संबंध में इकोलोजी रेस्टोरेशन हेतु विभाग को एक लाख रूपये प्रति वाहन वसूल किये जाने हेतु निर्देशित किया है। उक्त निर्देशों की पालना में खान विभाग द्वारा उक्त राशि वसूल करके इस हेतु पृथक से सृजित मद में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। माननीय अधिकरण द्वारा पेनल्टी राशि में वृद्धि की गई है, जिस बाबत संशोधित आदेश प्रक्रियाधीन हैं।

Scanned with CamScanner

4. ओवरलोड बजरी परिवहन में जब्त वाहनों के विरूद्ध परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

5. वन विभाग वन क्षेत्र में बजरी अवैध खनन एवं परिवहन पाये जाने पर उक्त वाहनों को मय खनिज जब्त कर वन अधिनियमों के तहत प्राथमिकी दर्ज कर वाहनों/वाहन मालिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। वन भूमि से होकर अवैध बजरी परिवहन करने में प्रयुक्त यांत्रिक वाहनों पर वन अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

6. बजरी अवैध परिवहन के प्रकरणों में वाहन मालिक एवं वाहन चालक के विरूद्ध एमएमडीआर एक्ट, 1957 की धारा 21 एवं आईपीसी की धारा 379 के तहत राजकीय सम्पत्ति की चोरी बावत् प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज करवाई जावेगी। बजरी अवैध खनन एवं परिवहन में किसी भी वाहन के एक से अधिक बार पकड़े जाने पर पुलिस विभाग द्वारा दूसरी बार अपराध किये जाने का तथ्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. खान विभाग की विभागीय वेबसाइट के ऐप में वर्तमान में अवैध खनन/निर्गमन के पंचनामों का 72 घंटे की अवधि में ऑन–लाईन अपलोड किया जाना आवश्यक है। इसमें परिवर्तन करके बजरी अवैध खनन/निर्गमन के संबंध में पकड़े गये वाहनों की प्रारंभिक सूचना (First Intimation Report) वाहन के फोटोग्राफ सहित विभागीय ऐप पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके पश्चात् पंचनामे 72 घंटे की अवधि में ऑन–लाईन किये जायेंगे। इस संबंध में विभागीय वेबसाइट में आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।

8. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.10.2019 से अवैध खनन की रोकथाम हेतु बार्डर होमगार्ड की तीन कम्पनियां (333 नफरी) उपलब्ध करवाई गयी हैं। निदेशक, खान विभाग द्वारा अवैध खनन के संवेदनशील खनन स्थलों पर उक्त बार्डर होमगार्ड के जवान एवं 14 वीं बटालियन (Mineral Protection Force) आर.ए.सी. के जवानों को नियोजित किया जावें।

9. पुलिस थानों द्वारा बजरी के अवैध वाहनों को डीटेन्ड करके परिवहन एवं खान विभाग के संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को दूरभाष एवं मेल पर सूचना दी जावेगी जिस पर परिवहन एवं खान विभाग द्वारा अपने–अपने नियमों के अन्तर्गत अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार परिवहन विभाग द्वारा खनिज बजरी के पकडे गये वाहनों के संबंध में सूचना भी खान विभाग के संबंधित जिला अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करवाई जावेगी। विभागों द्वारा की गई उक्त समन्वित कार्यवाही की मासिक समीक्षा भी संबंधित जिला कलक्टर द्वारा की जावेगी। वन भूमि में अवैध खनन पाये जाने पर वन विभाग द्वारा भी वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Scanned with CamScanner

10. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिला स्तर पर खनिज बजरी के अवैध खनन के संबंध में Grievance redressal portal अविलम्ब स्थापित किया जावे जिसकी समय समय पर जिला कलक्टर द्वारा समीक्षा की जावेगी।

11. खनिज बजरी के अवैध खनन के संबंध में जारी विभिन्न आदेशों/दिशा निर्देशों एवं Grievance redressal portal का प्रचार प्रसार स्थानीय स्तर पर जिला कलक्टर द्वारा करवाया जावे। साथ ही पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित कर बजरी के अवैध खनन के संबंध में स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ायी जावे जिससे कि आम नागरिकों में कानून की पालना में सामाजिक जागरूकता एवं सहभागिता बढ़ सके।

(राजीव स्वरूप)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, परिवहन विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
7. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक।
10. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

13/10/2020
(डॉ0 सुबोध अग्रवाल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

क्रमांकः प.39/2/सामान्य/खनन/एन.जी.टी./3198 दिनांकः 15-10-2020

-:: कार्यालय आदेश ::-

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. नम्बर 140/2014 एवं ओ.ए. 1086/2018 नगाराम डांगी बनाम पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2018 एवं मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक प.20(118)खान/ग्रुप-2/2014-पार्ट(बजरी) दिनांक 8.10.2020 में दिये गये निर्देशो के क्रम में जयसमंद झील केचमेंट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण का पूर्ण रोकथाम हेतु राजस्व, पुलिस, परिवहन, वन एवं खान विभाग के अधिकारियो का अवधि दिनांक 16.10.2020 से 30.10.2020 तक विशेष अभियान हेतु निम्नानुसार संयुक्त दल गठित किये जाते हैः-

क्र. सं.	टीमों का क्षेत्र	टीमों के सदस्यों के नाम	वाहन
1.	उपखण्ड – सलुम्बर	1.उपखण्ड अधिकारी , सलुम्बर, दल प्रभारी 2.उप पुलिस अधिक्षक, सलुम्बर 3.तहसीलदार, सलुम्बर 4.श्री राकेश कांठेड, स.ख.अ. सलुम्बर (9414660062) 5.श्री अब्दुल मुतलिब, खनिकार्यदेशक (9950774615) 1.श्री ओ.पी. मीणा, सर्वेयर, कार्यालय खनि अभियन्ता उदयपुर। (8769480027) 6.सम्बन्धित रेन्जर 7.सम्बन्धित परिवहन निरीक्षक	सभी सम्बंधित अधिकारीयों के वाहन मय चालक
2	उपखण्ड – लसाडिया	2. उपखण्ड अधिकारी , लसाडिया, दल प्रभारी 3.उप पुलिस अधिक्षक, लसाडिया 4.तहसीलदार, लसाडिया 5.श्री वंशीलाल सुथार, सखअ ऋषभदेव (9610665599) 6.श्री गोविन्द सिंह, वरिष्ठ खनि कार्यदेशक, ऋषभदेव। 8.श्री नगाराम, खनि कार्यदेशक, कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता सतर्कता उदयपुर (7976162716) 7. सम्बन्धित रेन्जर 8.सम्बन्धित परिवहन निरीक्षक	सभी सम्बंधित अधिकारीयों के वाहन मय चालक
3.	उपखण्ड – गिर्वा/भीण्डर	1.उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा /भीण्डर, दल प्रभारी 2.उप पुलिस अधिक्षक, गिर्वा/ भीण्डर 3.तहसीलदार, गिर्वा/ भीन्डर 4.श्री देवेश मीणा, भू वैज्ञानिक फास्फेट, उदयपुर मय अधीक्षण खनि अभियन्ता उदयपुर का वाहन मय चालक श्री नारायण मीणा एवं श्री सरदार सिंह। (7426009683) 5.श्री महेश मीणा, खनि कार्यदेशक, कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर। 6.श्री जोगाराम, खनि कार्यदेशक, कार्यालय खनि अभियन्ता उदयपुर। 7.श्री लोकेश टांक, खनि कार्यदेशक II, कार्यालय खनि अभियन्ता सतर्कता उदयपुर। 8. सम्बन्धित रेन्जर 9.सम्बन्धित परिवहन निरीक्षक	सभी सम्बंधित अधिकारीयों के वाहन मय चालक

समस्त थानाधिकारी अपने अपने क्षैत्राधिकार में खनिज बजरी के अवैध खनन/ निर्गमन के रास्ते/ स्टॉक को चिन्हित कर सम्बन्धित दल प्रभारी को सूचना उपलब्ध कराते हुए इनके विरूद्ध संयुक्त रूप से नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायेगे। सम्बन्धित विभाग उक्त दलो को आवश्यक कार्मिक/ जाब्ता उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगें। अभियान की प्रतिदिन की रिपोर्ट खनि अभियन्ता, उदयपुर द्वारा संकलित की जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराई जावेगी।

(चेतन देवडा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

क्रमांकः प.39/2/ /राज/खनन/एन.जी.टी./ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर रेंज।
3. श्रीमान् निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रति दी जाकर लेख है कि आपके स्तर पर सभी उप अधीक्षक पुलिस/वृताधीकारी/थानाधीकारी को उक्त क्षैत्र मे खनिज बजरी के अवैध खनन /निर्गमन की पूर्ण रोकथाम की कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का श्रम करावे।
5. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)/(शहर) उदयपुर।
6. उपवन संरक्षक, उदयपुर।
7. प्रादेशिक परिवहन/जिला परिवहन अधिकारी, उदयपुर।
8. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी........................
9. सम्बन्धित पुलिस उपधीक्षक ....
10. खनि अभियन्ता, उदयपुर/(सतर्कता) उदयपुर।
11. सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर।
12. सम्बन्धित तहसीलदार ....
13. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी ....
14. निजी सहायक जिला कलक्टर, उदयपुर।
15. रक्षित पत्रावली ।

जिला कलक्टर,
उदयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

क्रमांक: ३५७/एनजीटी/ 811 दिनांक: 5-2-2021

–:: कार्यालय आदेश ::–

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 140/2014 (नवीन प्रकरण संख्या 1086/2018) श्री नगाराम आंजी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित आदेशो की पालना में एवं मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प. 20(118)खान/ ग्रुप-2/2014-पार्ट(बजरी) दिनांक 8.10.2020 मे दिये गये निर्देशों के क्रम में जयसमन्द झील कैचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/ निर्गमन/भण्डारण की पूर्ण रोकथाम हेतु राजस्व, पुलिस, परिवहन, वन एवं खान विभाग के अधिकारियों का अवधि दिनांक 8.2.2021 से 23.2.2021 तक विशेष अभियान हेतु निम्नानुसार संयुक्त दल गठित किये जाते है.–

क्र स.	टीमो का क्षेत्र	टीमों के सदस्यों के नाम	वाहन
1	तहसील–गिर्वा एवं भीण्डर/ वल्लभनगर	1. उपखण्ड अधिकारी गिर्वा/भीण्डर, दल प्रभारी 2. उप पुलिस अधीक्षक, गिर्वा/भीण्डर 3. तहसीलदार गिर्वा /भीण्डर 4. सम्बन्धित रेन्जर 5. सम्बन्धित परिवहन निरीक्षक। 6. श्री राजेश शाह, खकादे I, कार्यालय खनि अभियन्ता उदयपुर। (9414267603) 7. श्री महेश मीणा, खकादे II कार्यालय खनि अभियन्ता उदयपुर। (8003393993) 8. श्री धर्मपाल सिंह राणावत, खकादे II, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान उदयपुर। (7737752309) 9. श्री ओ.पी. मीणा, सर्वेयर कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव (8769480027)	सम्बन्धित अधिकारियों के वाहन मय चालक
2	तहसील–सलूम्बर/लसाडिया	1. उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर/लसाडिया, दल प्रभारी 2. उप पुलिस अधीक्षक, सलूम्बर/लसाडिया 3. तहसीलदार सलूम्बर/लसाडिया 4. सम्बन्धित रेन्जर 5. सम्बन्धित परिवहन निरीक्षक। 6. श्री नारायण गमेती, खकादे I, (9950450607) 7. श्री लोकेन्द्र सुमन, खकादे II, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान उदयपुर। (9413605961) 8. श्री अब्दुल मुतलिब, खकादे II, कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता सलूम्बर (9950774615)	सम्बन्धित अधिकारियों के वाहन मय चालक

समस्त थानाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में अवैध खनन/निर्गमन के रास्ते/ स्टॉक को चिन्हित कर सम्बन्धित दल प्रभारी को सूचना उपलब्ध कराते हुए इनके विरूद्ध संयुक्त रूप से नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराएगे। सम्बन्धित विभाग उक्त दलों को आवश्यक कार्मिक/ जाब्ता उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगे। अभियान की प्रतिदिन की रिपोर्ट खनि अभियन्ता उदयपुर द्वारा संकलित की जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराई जावेगी।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(12)

क्रमांकः उपन/एनजीटी/ 812-47   दिनांकः 5-2-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर रेन्ज।
3. श्रीमान् निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर।
4. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को भेज कर लेख है कि अपने स्तर पर सभी उप अधीक्षक पुलिस/वृताधिकारी/थानाधिकारी को उक्त क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन की पूर्ण रोकथाम की कार्यवाही हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावे।
5. अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन/शहर, उदयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक खान, उदयपुर–जोन, उदयपुर।
7. अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत, उदयपुर/सतर्कता–उदयपुर।
8. उपवन संरक्षक, उदयपुर।
9. प्रादेशिक परिवहन/ जिला परिवहन अधिकारी उदयपुर।
10. खनि अभियन्ता, उदयपुर/सतर्कता–उदयपुर।
11. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी......................................
12. सम्बन्धित पुलिस उपअधिक्षक......................................
13. सहायक खनि अभियन्ता सलुम्बर
14. सम्बन्धित तहसीलदार..
15. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी श्री ....।
16. निजी सहायक जिला कलक्टर, उदयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर,
उदयपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure-2 (13)

D. NO.

फर्द विश्लेषण ड्रोन विडियोग्राफी केचमेन्ट एरिया जयसमन्द झील जिला उदयपुर।

दिनांक — 10.07.2020
कैम्प ऑफिस उदयपुर

जयसमन्द केचमेन्ट एरिया मे अवैध खनन व बजरी के रोकथाम हेतु श्रीमान् के निर्देशानुसार ड्रोन ऑपरेटर 1. श्री मनोज कुमार कानि. नम्बर 1675 नियुक्त ड्रोन कार्यालय रिजर्व पुलिस लाईन उदयपुर।
2. श्री महेश कुमार कानि. नम्बर 2789 नियुक्त ड्रोन कार्यालय रिजर्व पुलिस लाईन, उदयपुर।

की सहायता से जयसमन्द केचमेन्ट एरिये में पहुंचकर दिनांक 20. 06.2020 को थाना गींगला के अन्तर्गत केचमेन्ट एरिया जयसमन्द झील में बहने वाली नदिया 1 झामरी नदी गांव [illegible] काकर 2 खरका नदी गांव खरका 3. गोमती नदी गांव काउ छापर की विडियोग्राफी [illegible] थानाधिकारी गींगला व मेरी उपस्थिति मे ड्रोन ऑपरेटर द्वारा नेत्रा Q2C HD से [illegible] उक्त तीनों नदियों के 2–2 किलोमीटर दूरी में कुल चार विडियो क्रमश 31 मिनिट, 36 मिनिट, 9 मिनिट, 2 मिनिट 30 सैकण्ड तक विडियोग्राफी की गई।

दिनांक 22.06.2020 को वृताधिकारी वृत सराडा, थानाधिकारी सराडा की उपस्थिति मे थाना सराडा के अन्तर्गत जयसमन्द पाल व गौमती नदी के गांव पहाडी व वीरपुरा में की गई [illegible] पर भी वक्त विडोयाग्राफी 17 मिनिट 15 सैकण्ड, 2 मिनिट 17 सैकण्ड की विडियोग्राफी की गई।

ड्रोन IDEA FORGE से मुख्य बिन्दु से 2–2 किलोमीटर तथा slotted range [illegible] किलोमीटर तक की गई तथा ड्रोन हाईट 60 से 200 मीटर तक ऊँचाई रही है।

विडियोग्राफी का अवलोकन से वक्त विडियोग्राफी जो की अचानक की गई थी तो कोई अवैध बजरी खनन व परिवहन करता हुआ नहीं पाया था फिर भी लगातार निगरानी जारी रहेगी।

मनोज कुमार
1675
महेश कुमार
2789

(मुकेश कुमार सांखला)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
(ग्रामीण) जिला उदयपुर

Scanned with CamScanner

(15)

8

।। कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर (राज.)।

क्रमांक   दिनांकः–

श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस
उदयपुर रेंज उदयपुर।

विषयः–जयसमंद कैचमेन्ट क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित [illegible] नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 140/2014 श्री नगाराम डांगी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश अनुसार जयसमंद कैचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन निर्गमन [illegible] एवं स्टॉक की प्रभावी रोकथाम हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) उदयपुर एवं वृत्ताधिकारी वृत [illegible] नेतृत्व में दिनांक 08.08.2020 को खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ जयसमंद कैचमेंन्ट क्षेत्र के अन्तर्गत [illegible] थाना गिंगला के राजस्व गांव गिंगला, धुलजी का गुडा, सराडी, खरका, ईडाणा, उथरदा, बासा, करावली [illegible] बहने वाली नदियां 1–झामरी नदी 2–गोमती नदी के बहाव क्षेत्र की अचानक ड्रोन से वीडियों ग्राफी [illegible] ड्रोन से वीडियों ग्राफी के दौरान उक्त दोनों नदियों के 2–2 किलो मीटर की दूरी में कुल 04 वीडियो [illegible] गयी।

इसी प्रकार दिनांक 09.08.2020 को जयसमंद पाल के नीचे की ओर (डाउन स्ट्रीम) नदी क्षेत्र में [illegible] बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/परिवहन एवं स्टॉक की प्रभावी रोकथाम हेतु वृत्ताधिकारी सराडा के नेतृत्व में थानाधिकारी सराडा व खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जयसमन्द की मुख्य पाल के [illegible] सराडा के अन्तर्गत जयसमन्द पाल व गोमती नदी के गांव पहाडी, वीरपुरा, झाडोल, सल्लाडा क्षेत्र की [illegible] द्वारा विडियोग्राफी कराई गयी। उक्त क्षेत्र में 5–5 किलोमीटर की दूरी में कुल 24 मीटिन 38 [illegible] वीडियोंग्राफी की गयी।

उक्त दोनों क्षेत्रों में ड्रोन विडियोंग्राफी का अवलोकन करने पर पाया गया है कि जयसमंद [illegible] एरिया के अन्तर्गत गोमती नदी व झामरी नदी तथा जयसमंद झील के नीचे (डाउन स्ट्रीम) अचानक [illegible] विडियोंग्राफी में कोई भी व्यक्ति मशीनरी या वाहन से खनिज बजरी का अवैध खनन/निर्गमन एवं परिवहन [illegible] हुआ नहीं पाया गया है। जयसमंद कैचमेन्ट एरिया में सतत निगरानी जारी है। ड्रोन द्वारा कैचमेन्ट एरिया की विड़ियोंग्राफी सलंग्न अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

(सलंग्न – उपरोक्तानुसार)

भवदीय

जिला पुलिस अधीक्षक
उदयपुर

Scanned with CamScanner

5

[illegible] ड्रोन विडियोग्राफी, केचमेन्ट एरीया जयसमन्द झील नदी क्षेत्र पुलिस थाना [illegible] जिला उदयपुर [illegible] पुलिस उप अधीक्षक वृत्त [illegible] जिला उदयपुर [illegible]

दिनांक 08/03/2020
स्थान– पुलिस थाना गींगला

[illegible] कि भारतीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण [illegible] [illegible] 2014 श्री नगाराम डागी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश जयसमन्द झील केचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, परिवहन एव स्टॉक की प्रभावी रोकथाम की कार्यवाही के क्रम में उच्चाधिकारीयो के निर्देशानुसार ड्रोन ऑपरेटर श्री मनोज कुमार कानि0 नम्बर 1675 एव श्री [illegible] कुमार कानि0 नम्बर 2789 नियुक्त ड्रोन कार्यालय रिजर्व पुलिस लाईन, उदयपुर की सहायता से दिनांक 08/03/2020 को जयसमन्द झील केचमेन्ट क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस थाना गींगला के राजस्व गाव गींगला, धुलजी का गुडा, सराडी, खरका, ईडाणा, उथरदा, [illegible] करावली क्षेत्र मे बहने वाली नदिया (1) झामरी नदी (2) गोमती नदी के बहाव क्षेत्र की विडियोग्राफी अचानक मुझ वृत्ताधिकारी सलुम्बर व थानाधिकारी गींगला द्वारा माईनिंग विभाग उदयपुर के अधिकारी क्रमश श्री जोगाराम देवासी, खनिज कार्य निदेशक द्वितीय श्री ओमप्रकाश मीणा सर्वेयर, खान एवं भू–विज्ञान विभाग विभाग उदयपुर की उपस्थिती मे उनके बताये अनुसार स्थान एवं क्षेत्र में ड्रोन नेत्रा Q2C HD से करवाई गई।

उक्त सभी नदियो के 2–2 कि0मी0 की दुरी में कुल चार विडियो क्रमश: 02 मिनिट 07 सेकण्ड, 08 मिनिट 17 सेकण्ड, 05 मिनिट 29 सेकण्ड, एव 27 मिनिट 47 सेकण्ड तक विडियोग्राफी की गई।

ड्रोन IDEA FORGE से मुख्य बिन्दु से 2–2 किलो मीटर तथा Slotted Range 5 से 7 किलोमीटर तक की गई तथा ड्रोन हाईट 60 से 200 मीटर तक ऊँचाई रही है।

ड्रोन विडियोग्राफी सी.डी. का अवलोकन करने पर पाया गया कि जयसमन्द झील केचमेन्ट एरिया के अन्तार्गत थाना क्षेत्र गींगला की गोमती नदी, झामरी नदी मे अचानक की गई विडियोग्राफी मे कोई भी व्यक्ति मशीनरी या वाहन से खनिज बजरी का अवैध खनन निर्गमन, परिवहन करता हुआ नही पाया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना गींगला को अवैध बजरी खनन, निर्गमन, परिवहन पर लगातार निगरानी रखने की हिदायत की गई।

फर्द हाजा विश्लेषण ड्रोन विडियोग्राफी, केचमेन्ट एरीया जयसमन्द झील नदी बहाव क्षेत्र अन्तर्गत पुलिस थाना गींगला मुर्तिब की गई।

[signature] 8/3/20
(रतन चावला, RPS)
पुलिस उप अधीक्षक
वृत्त सलुम्बर जिला उदयपुर

Scanned with CamScanner

फर्द विश्लेषण ड्रोन विडियोग्राफी, जयसमन्द झील पाल के नीचे की ओर (डाउन स्ट्रीम) नदी क्षेत्र, पुलिस थाना क्षेत्र सराड़ा, जिला उदयपुर, पुलिस पुलिस उप अधीक्षक वृत्त सराड़ा , जिला उदयपुर (राज.)

दिनांक 09/08/2020
स्थान-- पुलिस चौकी जयसमन्द

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 140/2014 श्री गंगाराम डांगी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय एन.जी.टी द्वारा पारित आदेश जयसमन्द झील पाल के नीचे की ओर (डाउन स्ट्रीम) नदी क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन, निर्गमन, परिवहन एवं स्टॉक की प्रभावी रोकथाम की कार्यवाही के क्रम में उच्चाधिकारीयों के निर्देशानुसार ड्रोन ऑपरेटर श्री मनोज कुमार कानि० नम्बर 1675 एवं श्री भावेश कानि० नम्बर 2789 नियुक्त ड्रोन कार्यालय रिजर्व पुलिस लाईन उदयपुर की सहायता दिनांक 09/08/2020 को जयसमन्द झील की मुख्य पाल के नीचे थाना सराड़ा के अन्तर्गत जयसमन्द पाल व गोमती नदी के गांव पहाड़ी, वीरपुरा, झाडोल, सल्लाड़ा आदि की विडियोग्राफी अचानक मुझ वृत्ताधिकारी सराड़ा व थानाधिकारी सराड़ा द्वारा माईनिंग विभाग उदयपुर के अधिकारी कमशः श्री' जोगाराम देवासी, खनिज कार्य निदेशक द्वितीय श्री ओमप्रकाश मीणा सर्वेयर , खान एवं भू – विज्ञान विभाग विभाग उदयपुर की उपस्थिति में उनके बताये अनुसार स्थान एवं क्षेत्र में ड्रोन नेत्रा V3 से करवाई गई। उक्त क्षेत्र के 5-5 किलो मी० की दुरी में 24 मिनिट 38 सेकण्ड तक विडियोग्राफी की गई। ड्रोन IDEA FORGE के मुख्य विन्दु से 5-5 किलो मीटर तथा Slotted Range 5-7 किलोमीटर तक की गई तथा ड्रोन हाईट 50 से 250 मीटर तक उँचाई रही है। ड्रोन विडियोग्राफी सी.डी. का अवलोकन करने पर अचानक की गई विडियोग्राफी में कोई भी व्यक्ति मशीनरी या वाहन से खनिज बजरी का अवैध खनन, निर्गमन, परिवहन करता हुआ नही पाया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सराड़ा को अवैध बजरी खनन, निर्गमन, परिवहन पर लगातार निगरानी रखने की हिदायत की गई ।

फर्द हाजा विश्लेषण ड्रोन विडियोग्राफी, जयसमन्द झील पाल के नीचे की ओर (डाउन स्ट्रीम) नदी क्षेत्र अन्तर्गत पुलिस थाना सराड़ा मुर्तिब की गई।

(ओमप्रकाश मीणा) (Surveyor)

(हीरालाल RPS)
पुलिस उप अधीक्षक
वृत्त सराड़ा, जिला उदयपुर

Scanned with CamScanner

कार्य विश्लेषण ड्रोन विडियोग्राफी [illegible] जिला उदयपुर।

दिनांक [illegible]
ड्रोन ऑफिस उदयपुर

[illegible] पुलिस के आदेश [illegible] बजरी के [illegible] हेतु [illegible] पुलिस ड्रोन ऑपरेटर 1. श्री [illegible] कुमार कानि. नम्बर 1075 नियुक्त ड्रोन [illegible] पुलिस लाईन उदयपुर।

2. श्री [illegible] कानि. नम्बर 2117 नियुक्त ड्रोन [illegible] पुलिस लाईन उदयपुर।

[illegible] दिनांक 10.10.2020 को थाना सीमाला के अन्तर्गत [illegible] नदी व [illegible] नदी [illegible] श्री अखिल अहमद सहायक खनिज अभियन्ता सलूम्बर जिला उदयपुर की उपस्थिति में [illegible] विडियोग्राफी ड्रोन ऑपरेटर द्वारा ड्रोन Q2C HD, V3 HD से [illegible] दोनों नदियों के 4–5 किलोमीटर दूरी में कुल पाँच विडियो क्रमशः 10 मिनिट 13 सैकण्ड, 20 मिनिट 15 सैकण्ड, 21 मिनिट 21 मिनिट 01 सैकण्ड, 21 मिनिट 02 सैकण्ड तक विडियोग्राफी की गई। जिसका अवलोकन [illegible] पाया गया की...

दिनांक 10.10.2020 को श्री अखिल अहमद सहायक खनिज अभियन्ता सलूम्बर जिला उदयपुर की उपस्थिति में थाना सीमाला के अन्तर्गत झामरी व गोमती नदी क्षेत्र तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर व उपरोक्त टीम द्वारा अवैध खनन, निर्गमन, खनिज बजरी रोकने हेतु सर्वे किया गया गामड़ी नदी किनारे [illegible] का पुल, जीड, कोला ढाणा, रत्नपुरा, खरका, [illegible], [illegible] आदि एवं [illegible] नदी किनारा ग्राम [illegible] सीमाला, कैम्पुरा, गुडेल, उथरना, [illegible] आदि का ड्रोन से सर्वे करके देखा गया वर्तमान में ड्रोन सर्वे के दौरान नदी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति वाहन मशीनरी खनिज बजरी का अवैध खनन परिवहन करता नहीं पाया गया। उक्त दोनों नदियों में वर्तमान में पानी का बहाव चालू पाया गया दोनों नदियों से पानी बहकर जयसमन्द झील में जाता पाया गया। नदियों के अधिकतर भाग में पानी भरा हुआ मिला एवं जगह जगह नदी क्षेत्र में पुराने रेत के टीले पाये गये।

ड्रोन IDEA FORGE जिसका Q2C HD, V3 HD [illegible] मुख्य बिन्दु से 6–8 किलोमीटर तथा slotted range 5.3 किलोमीटर तक की गई तथा ड्रोन हाईट 60 से 350 मीटर तक ऊँचाई रही है।

विडियोग्राफी का अवलोकन से पाया विडियोग्राफी जो की अचानक की गई थी तो कोई अवैध बजरी खनन व परिवहन करता हुआ नहीं पाया था फिर भी लगातार निगरानी जारी रहेगी।

संलग्न:- 1. पेन ड्राईव
2. ड्रोन सर्वे रिपोर्ट

[illegible]
ड्रोन [illegible]

[illegible]

(सुधीर कुमार सांखला)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
(ग्रामीण) जिला उदयपुर

(18)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

क्रमांकः ख.अ./उदय/टास्क फोर्स/675 दिनांकः 6-1-2021

कार्यालय आदेश

टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 31.12.2020 को खनिज बजरी के अवैध खनन/ निर्गमन की रोकथाम के कम में खनिज बजरी के शहर में प्रवेश के स्थानो पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने एवं उक्त कैमरो का टेलीकास्ट के सम्बन्ध में जिन स्थानो पर अन्य योजनाओ के तहत सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाये जा रहे है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने हेतु स्थान चिन्हित कर एस्टीमेट तैयार किये जाने हेतु निम्न सदस्यो की कमेटी गठित की जाती है:—

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर, अध्यक्ष।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर।
3. नगर विकास प्रन्यास के तकनीकी अधिकारी।
4. उदयपुर स्मार्ट सिटी लि. के तकनीकी अधिकारी।
5. उपनिदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी उदयपुर।
6. खनि अभियन्ता उदयपुर।
7. सहायक खनि अभियन्ता सलूम्बर।

(चेतन देवडा),
जिला कलक्टर,
उदयपुर

क्रमांकः ख.अ./उदय/टास्क फोर्स/676-681 दिनांकः 6-1-2021

प्रतिलिपिः—

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर, अध्यक्ष।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर।
3. सचिव, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उदयपुर स्मार्ट सिटी लि. उदयपुर।
5. उपनिदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी उदयपुर।
6. खनि अभियन्ता उदयपुर।
7. सहायक खनि अभियन्ता सलूम्बर।

जिला कलक्टर,
उदयपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

No.:F-14(   )Engg/S.E./2020-21/62-3   Date :- 21/01/2021

कार्यालय आदेश

जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर के पत्र क्रमांक ख.अ./उदय/टास्क फोर्स/675–682 दिनांक 06/01/2021 (संलग्न) एवं टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 31/12/2020 के क्रम में बजरी के अवैध खनन/निर्गम की रोकथाम हेतु शहर के प्रवेश स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने एवं उक्त कैमरों का टेलीकास्ट के सम्बन्ध में स्थान चिन्हित एवं एस्टीमेट सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की ओर से श्री अनित माथुर, अधीक्षण अभियन्ता को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। श्री अनित माथुर, अधीक्षण अभियन्ता नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की ओर से टास्क फोर्स की गठित कमेटी के सदस्य के रूप में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अरुण कुमार हसीजा)
सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1– जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर ।
2– अति. जिला कलक्टर–शहर, उदयपुर।
3– अति. पुलिस अधीक्षक, उदयपुर।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उदयपुर स्मार्ट सिटी लि., उदयपुर।
5– उपनिदेशक, सूचना एवं पौद्योगिकी, उदयपुर।
6– खनिज अभियन्ता, उदयपुर।
7– सहायक खनिज अभियन्ता, सलूम्बर।
8– श्री अनित माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को पालनार्थ।

UAC 01/02/2021
2/2/21

सचिव
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annexure - 3 (20)

संशोधित

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर

क्रमांक : खअ/उदय/एनजीटी/2020/434

दिनांक : 10.10.2020

उपनिदेशक
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग(Do IT)
उदयपुर

विषय :– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली के ओए 1086/2018 मे जारी आदेश दिनांक 06.10.2020 के कम मे श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता मे आयोजित बैठक दिनांक 09.10.2020 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली के ओए 1086/2018 मे जारी आदेश दिनांक 06.10.2020 (प्रति संलग्न) के कम मे श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता मे दिनांक 09.10.2020 को बैठक आयोजित की गई। उपरोक्त ओए 1086/2018 जयसमंद केचमेन्ट क्षेत्र मे खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम के सम्बन्ध मे है। जयसमंद केचमेन्ट क्षेत्र से सम्बन्धित मुख्य नदियॉ जिला उदयपुर की तहसील गिर्वा, सलुम्बर, लसाडिया, वल्लभनगर मे प्रवाहित होती है।

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली के ओए 1086/2018 मे जारी आदेश दिनांक 06.10.2020 के बिन्दु संख्या 10 की पालना मे जिला स्तर पर खनिज बजरी के अवैध खनन के विषय मे Grievance redressal portal स्थापित किया जाना है, जिसके कम मे श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा उपनिदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उदयपुर से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये। उपरोक्त निर्देशो के कम मे आपसे दिनांक 09.10.2020 को वार्ता की गई। वार्तानुसार माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली के ओए 1086/2018 मे जारी आदेश दिनांक 06.10.2020 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि उपरोक्त पोर्टल बनाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का श्रम करावें। ताकि जयसमंद केचमेन्ट क्षेत्र मे खनिज बजरी के अवैध खनन एवं निर्गमन के सम्बन्ध मे आमजन शिकायत प्रस्तुत कर सके एवं उसका निस्तारण भी पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सके।

भवदीय

(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता,
उदयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर ।
2. श्रीमान् निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान)(सतर्कता), के.का. उदयपुर।
4. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर जोन्, उदयपुर।
5. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर–वृत्त उदयपुर ।

(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता,
उदयपुर।

Scanned with CamScanner

जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
जिला कलेक्ट्रट, उदयपुर, फोन. 0294-2423080
E-Mail - dlo.doit.udaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ.( )एसीपी/संपर्क/2020/619-21 दिनांक 13/10/2020

श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक महोदय
प्रभारी अधिकारी,
राजस्थान संपर्क पोटर्ल/सीएम हेल्पलाईन 181
उदयपुर।

05
NGT file
13/10/20

विषय :— माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली के ओए 1086/2018 में जारी आदेश दिनांक 06.10.2020 एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.10.2020 को आयोजित बैठक में प्राप्त निर्देश के क्रम में।

संदर्भ:— श्रीमान् खनि अभियन्ता का पत्रांक खअ/उदय/एनजीटी/2020/434 दिनांक 10.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि उदयपुर जिले के जयसमंद केचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम के संबन्ध में Grievence Redressel Portal स्थापित किया जाना है। इस संबन्ध में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है।

जयसमन्द केचमेन्ट क्षेत्र से संबन्धित मुख्य नदियाँ जिला उदयपुर की तहसील गिर्वा, सलूम्बर, लसाडिया, वल्लभनगर में प्रवाहित होती हैं। जयसमन्द केचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन एवं निर्गमन के संबन्ध में आमजन द्वारा शिकायत किये जाने एवं शिकायत का निस्तारण ऑनलाईन पॉर्टल के माध्यम से किये जाने की सुविधा नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली के ओए 1086/2018 में जारी आदेश में चाही गई है।

इस संबन्ध में श्रीमान् से निवेदन है कि वर्तमान में संचालित राजस्थान संपर्क पोटर्ल/सीएम हेल्पलाईन 181 ऑनलाईन पॉर्टल में खान एवं भू-विज्ञान विभाग के अन्तर्गत एक नया विषय "जयसमन्द केचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम" को जोडने का श्रम करावें। जिससे कि आमजन द्वारा उक्त विषय के संबंध में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी जा सके एवं विभागीय अधिकारीयों द्वारा शिकायत का निस्तारण किया जा सकें। साथ ही रिपोर्ट सेक्शन में उक्त विषय के संबन्ध में प्राप्त शिकायत एवं निस्तारण की प्रगति दर्शित किये जाने की सुविधा उपलब्ध करायाने का श्रम करावें।

Shutl
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक)
उदयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान् खनि अभियन्ता, कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर।
3. कार्यालय प्रति।

Shutl
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक)
उदयपुर

Scanned with CamScanner

Change Department

विषय प्रारूप (विभाग - खान एवं भूविज्ञान)

10 प्रविष्टियां दिखाएं खोजे :

विषय विवरण	उपयुक्त पद
सभी विषयों के लिए लागू (By Default)	स्तर 4 - सचिव; स्तर 3 - अतिरिक्त निदेशक , निदेशक; स्तर 2 - अतिरिक्त निदेशक , अतिरिक्त निदेशक खान मुख्यालय, अधीक्षण भूवैज्ञानिक, अधीक्षक खनन अभियंता; स्तर 1 - सहायक खनन अभियंता, भूविज्ञानी, खान अभियंता, Mining Engineer(Vigilance), " वरिष्ठ भूविज्ञानी";
भ्रष्टाचार / अनियमितता	स्तर 4 - प्रधान सचिव, सचिव; स्तर 3 - अतिरिक्त निदेशक , निदेशक; स्तर 2 - अतिरिक्त निदेशक खान मुख्यालय, अधीक्षण भूवैज्ञानिक, अधीक्षक खनन अभियंता; स्तर 1 - सहायक खनन अभियंता, उप ड्रिलिंग अभियंता, भूविज्ञानी, खान अभियंता, Mining Engineer(Vigilance), " वरिष्ठ भूविज्ञानी";
पटटा नवीनीकरण	स्तर 4 - प्रधान सचिव, सचिव; स्तर 3 - निदेशक; स्तर 2 - अतिरिक्त निदेशक , अतिरिक्त निदेशक खान मुख्यालय, अधीक्षक खनन अभियंता; स्तर 1 - सहायक खनन अभियंता, खान अभियंता;
खनन पट्टा (प्रमुख खनिज)	स्तर 4 - प्रधान सचिव, सचिव; स्तर 3 - अतिरिक्त निदेशक खान मुख्यालय, निदेशक; स्तर 2 - अधीक्षक खनन अभियंता; स्तर 1 - सहायक खनन अभियंता, खान अभियंता;
खनन पट्टा (गौण खनिज)	स्तर 4 - प्रधान सचिव, सचिव; स्तर 3 - अतिरिक्त निदेशक खान मुख्यालय, निदेशक; स्तर 2 - अधीक्षक खनन अभियंता; स्तर 1 - सहायक खनन अभियंता, खान अभियंता;
कर्मियों से सम्बंधित मुद्दे	स्तर 4 - प्रधान सचिव, सचिव; स्तर 3 - निदेशक; स्तर 2 - अतिरिक्त निदेशक , अतिरिक्त निदेशक खान मुख्यालय, अधिक्षण अभियंता, अधीक्षण भूवैज्ञानिक, अधीक्षक खनन अभियंता; स्तर 1 - सहायक खनन अभियंता, उप ड्रिलिंग अभियंता, भूविज्ञानी, खान अभियंता, Mining Engineer(Vigilance), " वरिष्ठ भूविज्ञानी";
खान लाइसेंस	स्तर 4 - निदेशक, सचिव; स्तर 3 - निदेशक; स्तर 2 - अतिरिक्त निदेशक खान मुख्यालय, अधीक्षक खनन अभियंता, स्तर 1 - सहायक खनन अभियंता, खान अभियंता;
अनाधिकृत खनन और खनिज का परिवहन	स्तर 4 - प्रधान सचिव, सचिव; स्तर 3 - निदेशक; स्तर 2 - अतिरिक्त निदेशक खान मुख्यालय, अधीक्षक खनन अभियंता; स्तर 1 - सहायक खनन अभियंता, खान अभियंता, Mining Engineer(Vigilance);

1 to 8 of 8 प्रविष्टियां दिखा रहे हैं पीछे 1 आगे

प्रशासनिक विभाग-2 शासन में आदेश (खनन)

181

Scanned with CamScanner

Phone / दूरभाष : Res. / निवास : 2410265
Office / कार्यालय : 2410834
Fax / फैक्स : 0294-2410834
Email : dm-uda-rj@nic.in

Chetan Deora, I.A.S.
चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

District Collector & DM
Udaipur (Rajasthan)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राजस्थान)

अर्द्धशासकीय पत्रांक / 2021 / 674
दिनांक: 06/02/2021

आदरणीय श्रीमान -

जयसमन्द कैचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन / निर्गमन की रोकथाम के सम्बन्ध में विचाराधीन माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के ओए 1086/2018 में जारी आदेश दिनांक 6.10.2020 के बिन्दु संख्या 10 के क्रम में प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 13.10.2020 से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिला स्तर पर खनिज बजरी के अवैध खनन के सम्बन्ध में Grievances redressal Portal स्थापित किया जाना है जिसकी समय समय पर जिला कलक्टर द्वारा समीक्षा की जावेगी। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उपरोक्त आदेशों के क्रम में कार्यालय पत्रांक 434 दिनांक 10.10.2020 से उपनिदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल में नया विषय " जयसमन्द कैचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन / निर्गमन की रोकथाम" को जोडने हेतु लिखा गया था। (प्रति संलग्न) जिससे कि आमजन उक्त विषय के सम्बन्ध में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सके एवं उसका निस्तारण भी पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सके। पुनः खान विभाग के उपरोक्त परिपत्र के क्रम में श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक एवं महाप्रबन्धक राजकॉप द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर खान विभाग में शिकायत के सम्बन्ध में जोडे जाने वाले विषयों के नाम एवं सम्बन्धित अधिकारियों के एसएसओ आईडी की सूची निम्न तालिका में चाही गई है:-

क्र. स.	विषय का नाम	Level 4 (SSO Id)	Level 3 (SSO Id)	Level 2 (SSO Id)	Level 1 (SSO Id)
1	जयसमंद कैमचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन / निर्गमन की रोकथाम			O.P. Xabara, SME Udaipur SSO ID- omprakash.kabara	Chandan Kumar, ME SSO-ID RJGA201535002738

उक्त सम्बन्ध में कार्यालय खनि अभियन्ता उदयपुर एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता उदयपुर-वृत, उदयपुर से सम्बन्धित सूचना तालिका में भरकर प्रेषित कर निवेदन है कि L-3 एवं L-4 का निर्धारण किया जाकर अवगत कराने का श्रम करावे ताकि इस विषय में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

सदभावी

(चेतन देवड़ा)

श्री कुंज विहारी पण्ड्या (IAS),
निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग,
उदयपुर राजस्थान

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर–खण्ड, उदयपुर

क्रमांकःखअ/उदय/एनजीटी/2021/ 803 दिनांक– 03-02-2021

प्रेषिति :–

श्रीमान् उपनिदेशक,
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
उदयपुर।

विषय–माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के ओए 1086/2018 में जारी आदेश दिनांक 6.10.2020 के कम मे।

प्रसंगः– खान (ग्रुप–2) विभाग के परिपत्र कमांक प–11(1)(213)खान ग्रुप–2/2014 दिंनाक 13.10.2020 एवं उप निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, उदयपुर के पत्र दिंनाक 14.10.2020 एवं श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय का अर्द्धशासकीय पत्र दिंनाक 6.1.2021 के कम मे।

महोदय,

जयसमन्द कैचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/ निर्गमन की रोकथाम के सम्बन्ध में विचाराधीन माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के ओए 1086/2018 में जारी आदेश दिनांक 6.10.2020 के बिन्दु संख्या 10 के कम में प्रासंगिक परिपत्र दिनांक 13.10.2020 से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिला स्तर पर खनिज बजरी के अवैध खनन के सम्बन्ध में Grievances redressal Portal स्थापित किया जाना है जिसकी समय समय पर जिला कलक्टर द्वारा समीक्षा की जावेगी। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उपरोक्त आदेशो के कम में कार्यालय पंत्राक 434 दिंनाक 10.10.2020 से उपनिदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल में नया विषय " जयसमन्द कैचमेन्ट क्षैत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/ निर्गमन की रोकथाम" को जोडने हेतु लिखा गया था। (प्रति संलग्न) जिससे कि आमजन उक्त विषय के सम्बन्ध में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सके एवं उसका निस्तारण भी पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सके। पुनः खान विभाग के उपरोक्त परिपत्र के कम में श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक एवं महाप्रबन्धक राजकोष द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर खान विभाग में शिकायत के सम्बन्ध में जोडे जाने वाले विषयो के नाम एवं सम्बन्धित अधिकारियो के एसएसओ आईडी की सूची निम्न तालिका में चाही गई हैः–

क्र. स.	विषय का नाम	Level 4 (SSO Id)	Level 3 (SSO Id)	Level 2 (SSO Id)	Level 1 (SSO Id)
1	जयसमंद कैचमेन्ट क्षैत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/ निर्गमन की रोकथाम	NIL	Harsh Sawan sukha , ADA SSO ID- RJUD199637027210	O.P. Kabara, SME Udaipur SSO ID- omprakash.kabara	Chandan Kumar , ME SSO- ID RJGA201535002738

नोटः– श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक महोदय से चर्चा दौरान निर्देश दिये गये कि लेवल 3 तक ही शिकायतो का निस्तारण कर दिया जावेगा।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
खनि अभियन्ता
उदयपुर(राज.)

क्रमांकःखअ/उदय/एनजीटी/2021/ 804 दिनांक 03-02-2021
प्रतिलिपि श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) 3/2/21
खनि अभियन्ता
उदयपुर(राज.)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

(25)

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
खनिज भवन, उदयपुर 313001
दूरभाषः 2415091–95, फैक्स : (0294)–2410526

क्रमांक– निदे/सत/सम्पर्क पोर्टल/2020/13 दिनांक–09.02.2021

प्रेषिति,

निजी सचिव,
प्रमुख शासन सचिव,
खान एवं पेट्रोलियम विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषयः– राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के स्तर–4 पर SSO ID मैप करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर खान एवं पेट्रोलियम विभाग से संबंधित परिवादों का ऑनलाईन निस्तारण किया जाता है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर परिवाद निस्तारण हेतु 4 स्तर निर्धारित किये गये है। जिसके अंतर्गत स्तर–4 पर परिवाद प्रमुख शासन सचिव महोदय को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित होते है। इस क्रम में कृपया सम्पर्क पोर्टल के स्तर–4 पर वर्तमान प्रमुख शासन सचिव महोदय की SSO ID मैप कराने का श्रम करावें ताकि स्तर–1 ,2 एवं 3 को भी संबंधित SSO ID से मैप किया जा सके। धन्यवाद।

भवदीय,

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
नोडल ऑफिसर
सम्पर्क पोर्टल

Scanned with CamScanner

Annexure-4 (26)

V.C

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, खण्ड उदयपुर।

क्रमांकः-खअ/उदय/अवैध खनन/2020/508-534 दिनांक-26.10.2020

बैठक सूचना

विषयः- जयसमंद कैचमेंट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में पंचायत स्तर पर विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के सम्बन्ध में।

प्रसंगः- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2020 की पालना में जयसमंद केचमेन्ट क्षेत्र तहसील-सलूम्बर, सराडा, लसाडिया, गिर्वा, एवं भीण्डर/वल्लभनगर मे खनिज बजरी के अवेध खनन/निर्गमन/भण्डारण हेतु पंचायत स्तर पर जागरूकता के लिये वीडियो कान्फ्रेसिंग दिनांक 27.10.2020 को सांय 3:00 बजे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई है।

अतः विडियों कान्फ्रेसिंग दिनांक 27.10.2020 को सांय 3:00 बजे सम्बन्धित विडियो कान्फ्रेसिंग रूम/ई-मित्र केन्द्र पर उक्त विडियों कान्फ्रेसिंग में उपस्थिती दर्ज कराना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

खनि अभियन्ता,
उदयपुर

क्रमांकः-खअ/उदय/अवैध खनन/2020/508-534 दिनांक-26.10.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, उदयपुर।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर।
3. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा/सराडा/सलूम्बर/लसाडिया/भीण्डर/वल्लभनगर।
4. श्रीमान तहसीलदार गिर्वा/सराडा/सलूम्बर/लसाडिया/भीण्डर/वल्लभनगर।
5. सहायक खनि अभियन्ता, उदयपुर/सलूम्बर।
6. श्रीमान विकास अधिकारी, गिर्वा/कुराबड/भीण्डर/लसाडिया/सलूम्बर/ झल्लारा/सराडा को भेजकर लेख है कि जयसमंद केचमेन्ट क्षेत्र में आने वाले गाँव की सूची संलग्न कर सम्बन्धित गाँव के संरपच, उपसंरपच, ग्राम सेवक/सचिव को विडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 27.10.2020 को सांय 3:00 बजे पर उपस्थित होने हेतु पाबंद कराने का श्रम करावे।
7. सम्बन्धित ग्राम संरपच।
8. सम्बन्धित ग्राम उपसंरपच।
9. सम्बन्धित ग्राम सेवक/सचिव।

(हस्ताक्षर) 26/10/2020

खनि अभियन्ता,
उदयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर खण्ड, उदयपुर ।

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के ओए संख्या 1086/2018 में जारी आदेश दिनांक 6.10.2020 के क्रम में जयसमन्द कैचमेन्ट क्षैत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु जन सहभागिता सुनिश्चित करने एवं अवैध खनन के विरूद्ध जारी आदेशो एवं निर्देशो का प्रचार प्रसार स्थानीय स्तर पर किये जाने हेतु आज दिनांक 27.10.2020 को विडियो कॉन्फ्रेन्स का आयोजन किया गया है। जिले में बहने वाली नदियां सीजनल है एवं उनमें विगत वर्षो में बजरी की आवक से जो डिपोजिट हुआ था उसका वर्तमान में काफी मात्रा में दोहन हो चुका है। उक्त क्षैत्रो में वर्ष 2013 तक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमो के तहत किये गये खनन पर अधिशुल्क ठेके के माध्यम से रॉयल्टी का संग्रहण किया जाता था। वर्ष 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी क्षैत्र में खनन पट्टे के माध्यम से ही खनन कार्य किया जा सकता है। जिसके क्रम में राजस्थान राज्य में 82 मंशा पत्र जारी किये गये तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अस्थाई कार्यानुमति दी गई। जयसमन्द कैचमेन्ट क्षैत्र मे माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रतिबन्ध होने के कारण उक्त क्षैत्रो में मंशापत्र जारी नहीं किये जा सकते। उक्त क्षैत्रो में खनिज बजरी के अवैध खनन/ निर्गमन के क्रम में समय समय पर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश जारी किये गये है तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में भी अवैध खनन/ निर्गमन की रोकथाम हेतु पेनाल्टी आदि का प्रावधान किया गया है, जिसकी विस्तृत चर्चा विडियो कॉन्फ्रेन्स के दौरान की जायेगी लेकिन इस सम्बन्ध में समस्त ग्राम पंचायतो से जुडे हुए प्रतिनिधियो से यह अपेक्षा है कि उक्त क्षैत्रो में खनिज बजरी का अवैध खनन/ निर्गमन पाये जाने पर स्थानीय स्तर पर प्रयास कर अवैध खनन में प्रयुक्त मशीन आदि को रूकवाकर स्थानीय थाने के सुपुर्द करे तथा अवैध खनन/निर्गमन के प्रकरण में सम्बन्धित तहसीलदार/ थानाधिकारी/ खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता को भी सुचित करे।

जिले में खनिज बजरी की आपूर्ति हेतु अन्य जिलो यथा राजसमन्द, पाली, सिरोही आदि में खातेदारी भूमि में खनिज बजरी के खनन पट्टे स्वीकृत है इसके अतिरिक्त विभिन्न क्रशर प्लाण्ट से वॉस्ड सेण्ड/ एमसेण्ड की भी आपूर्ति की जा रही है। अतः नदियो का प्राकृतिक स्वरूप यथावत रहे इस सम्बन्ध में समन्वित प्रयास किये जाने चाहिए।

खनि अभियन्ता,
उदयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर खण्ड, उदयपुर ।

माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के ओए संख्या 1086/2018 में जारी आदेश दिनांक 6.10.2020 के कम में पंचायत स्तर पर जागरूकता बढाने हेतु आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के बिन्दुः–

A माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण के मुख्य बिन्दु

1. जयसमन्द कैचमेन्ट क्षेत्र उदयपुर जिले की तहसील सलूम्बर, लसाडिया, गिर्वा, भीण्डर, चित्तौडगढ की तहसील बडीसादडी तथा प्रतापगढ की तहसील धरियावद में स्थित है लेकिन जयसमन्द झील को भरने वाली मुख्य नदियां जिला उदयपुर की तहसील सलूम्बर, लसाडिया, गिर्वा, भीण्डर में ही स्थित है। जहां पर बजरी अवैध खनन/निर्गमन की समस्या है।
2. श्री नगाराम डांगी द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष ऑरिजनल एप्लिकेशन संख्या 140/2014 जयसमंद केचमेंट क्षेत्र के पारिस्थितिकी (Ecology) बिगडने, वाटर लेवल के कम होने एवं बजरी के अवैध खनन के संबंध में शिकायत प्रस्तुत करते हुए बजरी के अवैध खनन को रोके जाने क्षेत्र की इकॉलोजी को हुवे नुकसान का निष्पक्ष हाई लेवल कमेटी से जांच करवाने स्थानीय व्यक्तियों को खेती के नुकसान का मुआवजा दिलवाये जाने तथा इकॉलोजी को पुनः प्रतिस्थापित करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया, जिसको माननीय ट्रिब्युनल द्वारा दिनांक 19.09.2018 से निस्तारित करते हुए निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन को तीन माह में स्थाई रूप से बन्द कराये जाने, अवैध खननकर्ता से पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु 1.00 लाख रूपये लिये जाने, क्षतिपूर्ति से प्राप्त राशि को उप वन संरक्षक को जमा कराये जाने एवं उक्त राशि का उपयोग इकॉलोजी के सुधार हेतु किये जाने बाबत निर्देशित किया गया।
3. अवैध बजरी खनन की रोकथाम हेतु संभागीय आयुक्त, उदयपुर तथा पुलिस महानिरिक्षक, उदयपुर को विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. विभाग द्वारा उक्त आदेशों की पालना में रिपोर्ट माननीय ट्रिब्युनल के समक्ष प्रस्तुत करने पर पृथक से प्रकरण दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया।
5. विभाग द्वारा समय–समय पर माननीय ट्रिब्युनल के आदेश दिनांक 19.09.2018 के कम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की गई, जिससे क्षेत्र में अवैध खनन पर अंकुश लगा। विभाग द्वारा प्रस्तुत पालना रिपोर्ट को नवीन प्रकरण ऑरिजनल एप्लिकेशन 1086/2018 के रूप में दर्ज किया गया।
6. प्रकरण में समय समय पर माननीय ट्रिब्यूनल द्वारा निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान विभाग, पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर–रेन्ज को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार प्रकरण काफी गंभीर प्रकृति का है।

Scanned with CamScanner

7 माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 6.2.2020 को जयसमन्द कैचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन में प्रयुक्त वाहनों को माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेश से ही छोड़े जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

8. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 0.10.2020 को जिला स्तर से निम्न कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है:-

1 जिला स्तर पर खनिज बजरी के अवैध खनन के विषय मे Grievance redressal portal स्थापित किया जाना है। जिसके सम्बन्ध में उपनिदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर जयसमन्द कैचमेन्ट क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम का नया विषय जोड़ने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त विषय जुड़ने के पश्चात् आमजन क्षेत्र विशेष की शिकायत उक्त पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे एवं शिकायतों का निस्तारण पृथक से प्रदर्शित किया जा सकेगा।

2 जिला स्तर पर खनिज बजरी के अवैध खनन व निर्गमन की मॉनिटरिंग की जानी है एवं पंचायत स्तर पर बैठक आयोजित कर बजरी के अवैध खनन के विषय में स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढाई जानी है। खनिज बजरी के अवैध खनन के विरूद्ध जारी आदेशो एवं निर्देशो का प्रचार प्रसार स्थानीय स्तर तक किया जाना है, जिससे सम्बन्धित नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कर सके तथा कानुन की पालना मे सामाजिक सहभागिता हो सके।

3 बजरी के अवैध खनन एवं निर्गमन मे जब्त किये गये वाहनो को मुक्त करने के लिए जिला स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति किये जाने के निर्देश दिये गये।

B अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में विधिक प्रावधान –

1. अवैध खनन/निर्गमन के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही हेतु एमएमडीआर एक्ट 1957 के सेक्शन 4 के प्रावधान अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना वैध अनुज्ञापत्र, खनन पट्टा आदि की शर्तो के विरूद्ध खनन कार्य नहीं करेगा, न ही खनिज का परिवहन एवं भण्डारण करेगा।
2. उक्त प्रावधानो का उल्लंघन किये जाने पर व्यक्ति को पांच साल का कारावास तथा अधिकतम पांच लाख रू. की शास्ती आरोपित की जा सकती है।
3. एमएमडीआर एक्ट 1957 में प्रदत्त अधिकारो के तहत राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 बनाई गई है जिसके नियम 54 के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना वैध अनुज्ञापत्र, खनन पट्टा आदि की शर्तो के विरूद्ध खनन कार्य नहीं करेगा, न ही खनिज का परिवहन एवं भण्डारण करेगा।
4. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54(3) में अवैध खनन/परिवहन/ भण्डारण में प्रयुक्त वाहनो से शास्ती राशि जो कि खनिज की रॉयल्टी की 10 गुणा होती है एवं कम्पाउण्ड राशि लिये जाने का प्रावधान है। ट्रेक्टर ट्रॉली हेतु उक्त कम्पाउण्ड राशि 25000/– तथा बडे डम्पर हेतु 1 लाख रू. निर्धारित

Scanned with CamScanner

है। इसके अतिरिक्त उक्त वाहनो से पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि भी लिये जाने का प्रावधान है।

5. नियम 54(4) के अनुसार खान विभाग के अतिरिक्त निदेशक सहित समस्त अधिकारी एवं तकनीकी कर्मचारी तथा जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, उपवन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक/क्षैत्रीय वन अधिकरी (वन भूमि पर अवैध खनन होने पर), तथा एसडीआरआई के अधिकारी क्षैत्र में अवैध खनन/ निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग कर वाहन/मशीन को खनिज सहित जब्त करने हेतु अधिकृत है।

6. आरएमएमसीआर के नियम 54(5) के अनुसार जब्तशुदा वाहन नियमानुसार मुक्त नहीं होने की स्थिति में 72 घण्टे के अन्दर उच्चाधिकारी व माननीय न्यायधीश को जब्त वाहन/मशीन इत्यादि की सूचना देनी होती है।

7. आरएमएमसीआर के नियम 54(8) में खान, राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चैकिंग कर कार्यवाही करने हेतु प्रावधान दिया गया है।

खनि अभियन्ता,
उदयपुर

Scanned with CamScanner

Annexure-5 (31)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर खण्ड-उदयपुर।

क्रमांकः खअ/उदय/NGT/2020/ 427 दिनांकः- 1 0/10/2020

श्रीमान् जिला कलक्टर,
उदयपुर।

विषयः- सी0ए0 140/2014 एवं ओ0ए0 1086/2018 नगाराम डांगी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य समक्ष माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2020 एवं मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक/प.20(118)खान/ग्रुप-2/2014-पार्ट(बजरी) दिनांक 08.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सी0ए0 140/2014 एवं ओ0ए0 1086/2018 नगाराम डांगी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य समक्ष माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2020 एवं मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांक/प.20(118)खान/ग्रुप-2/2014-पार्ट(बजरी) दिनांक 08.10.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जयसमन्द केचमेन्ट क्षेत्र में पुलिस विभाग, खान विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा राजस्व विभाग का संयुक्त अभियान चला कर अवैध बजरी खनन/निर्गमन/भण्डारण कर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जानी है। इस हेतु खान विभाग का दल निम्नानुसार प्रस्तावित है:-

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	वाहन संख्या
1.	1- श्री राकेश कांठेड, सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर 2- श्री अब्दुल मुत्तलिब, खनि कार्यदेशक, सलुम्बर 3- श्री तगाराम, खनि कार्यदेशक (कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता), उदयपुर)	कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, सलुम्बर का वाहन मय चालक।
2.	1- श्री बंशीलाल सुथार, सहायक खनि अभियन्ता, प्रतापगढ (अतिरिक्त कार्यभार कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव) 2- श्री गोविन्द सिंह, वरिष्ठ खनि कार्यदेशक, ऋषभदेव 3- श्री लोकेश टांक, खनि कार्यदेशक, खनि अभियन्ता (सतर्कता), उदयपुर।	कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव का वाहन मय चालक।
3.	1- श्री देवेश मीणा, भू वैज्ञानिक (फॉस्फेट), उदयपुर। 2- श्री महेश मीणा, खनि कार्यदेशक, खनि अभियन्ता, उदयपुर। 3- श्री ओम प्रकाश मीणा, सर्वेयर, खनि अभियन्ता, उदयपुर।	कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर वृत, उदयपुर का वाहन मय चालक।

अवैध बजरी खनन/निर्गमन/भण्डारण कर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु उपरोक्तानुसार पुलिस विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों का नाम भी सम्मिलित करते हुवे संयुक्त अभियान दल का गठन किया जावे ताकि मुख्य सचिव महोदय के तथा माननीय न्यायालय ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली के आदेशों की पालना की जा सके तथा पालना से मुख्य सचित महोदय तथा माननीय न्यायालय ग्रीन ट्रिब्युनल, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,

10/10/20
(जिनेश हुमड़)
खनि अभियन्ता,
उदयपुर।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

क्रमांकः खअ / उदय / NGT / 2020 / 441-43 दिनांकः– 10/10/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1– श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक(खान)(सतर्कता), के0का0, उदयपुर।
2– श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक(खान), उदयपुर जोन, उदयपुर।
3– श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर वृत, उदयपुर।

खनि अभियन्ता,
उदयपुर।

Scanned with CamScanner

(33)

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर जोन–उदयपुर

क्रमांकः–अनिखा/उदय /एनजीटी/2020/ 587 दिनांकः– 10/12/20

कार्यालय–आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रिंसिपल नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 140/2014 (नवीन प्रकरण संख्या 1086/2018) श्री नगाराम डांगी बनाम राजस्थान राज्य में जारी आदेशों की पालना मे जिला उदयपुर के जयसमन्द झील केन्चमेन्ट क्षेत्र मे बहने वाली नदी नालो से खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन के भण्डारण के रोकथाम हेतु निम्नलिखित तकनीकी कर्मचारियों की ड्यूटी मय वाहन के निम्नानुसार अग्रिम आदेश तक लगाते हुए निर्देशित किया जाता है कि ड्यूटी अवधि में अंकित हेड क्वार्टर पर ही ठहराव कर, क्षेत्र में स्थापित चेक पोस्टों पर तैनात बोर्डर होम गॉर्डो की तैनाती नदी क्षेत्र में लगाई जाकर एवं निरन्तर चैकिंग कर यह सुनिश्चित करेगें कि सम्बन्धित नदी क्षेत्र में कही पर भी खनिज बजरी का अवैध खनन न हो साथ ही प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट खनि अभियन्ता, उदयपुर को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेगे।

क्र. स.	कार्यक्षेत्र	कर्मचारी/अधिकारी	कार्यदिवस	वाहन एवं वाहन चालक
1	तहसील–गिर्वा, वल्लभनगर/भीण्डर	श्री लोकेश टॉक, व.ख.का.दे.	रविवार–सोमवार	RJ27UA6105 श्री सरदार सिंह
		श्री आरिफ मोहम्मद शेख, स.ख.उदयपुर श्री राजेश शाह, व.ख.का.दे.	मंगलवार	RJ27UA6105 श्री सरदार सिंह
		श्री महेश मीणा, ख.का.दे.	बुधवार–गुरूवार	RJ27UA6105 श्री नरूआ मीणा
		श्री ओमप्रकाश मीणा, सर्वेयर	शुक्रवार–शनिवार	RJ27UA6105 श्री नरूआ मीणा
2	तहसील–सलूम्बर,, लसाडिया	श्री नारायण गमेती, व.ख.का.दे.	रविवार से मंगलवार	RJ27UA5774 श्री रेवतसिंह
		श्री राकेश कांठेड, स.ख. सलूम्बर श्री अब्दुल मुंत्तलिब, ख.का.दे.	बुधवार–गुरूवार	RJ27UA0950 श्री कैलाश सालवी
		श्री तगाराम, ख.कादे.	गुरूवार से शनिवार	RJ27UA5774 श्री नारायण मीणा

उपरोक्त गठित दलों के कार्य का पर्यवेक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर द्वारा किया जाकर साप्ताहिक रिपोर्ट निदेशालय एवं इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी, साथ ही अधिकारी/कर्मचारी मौके पर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पुलिस थाना, एवं तहसीलदार से सहयोग लेवे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे।

(महेश माथुर)
अतिरिक्त निदेशक (खान)
उदयपुर–जोन, उदयपुर

क्रमांकः–अनिखा/उदय /एनजीटी/2020/ 588–604 दिनांकः– 10/12/20

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता), निदेशालय उदयपुर।
3. अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर वृत, उदयपुर का पत्रांक 1176 दिनांक 20.11.2020 के क्रम में ।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर(सतर्कता) उदयपुर।
5. खनि अभियन्ता, उदयपुर खण्ड, उदयपुर
6. खनि अभियन्ता, (सतर्कता) उदयपुर।
7. सहायक खनि अभियन्ता, सलूम्बर ।
8. सम्बन्धित अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी एवं वाहन चालक।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (खान)
उदयपुर–जोन, उदयपुर

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान), उदयपुर–जोन, उदयपुर

क्रमांकः–अनिखा / उदय / एनजीटी / 2020–21 / 49 दिनांक– 21/1/21

संशोधित कार्यालय–आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण प्रिंसिपल नई दिल्ली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 140 / 2014 (नवीन प्रकरण संख्या 1086 / 2018) श्री नगाराम डांगी बनाम राजस्थान राज्य में जारी आदेशों की पालना में जिला उदयपुर के जयसमन्द झील केचमेन्ट क्षैत्र में बहने वाली नदी नालों से खनिज बजरी के अवैध खनन / निर्गमन के भण्डारण के रोकथाम हेतु कार्यालय–आदेश दिनांक 10.12.2020 से जारी किया था ,परन्तु विभागीय तबादले होने से पुनः संशोधित अभियान में तैनात निम्नलिखित तकनीकी कर्मचारियों की ड्यूटी मय वाहन के निम्नानुसार अग्रिम आदेश तक लगाते हुए निर्देशित किया जाता है कि ड्यूटी अवधि में अंकित हेड क्वार्टर पर ही ठहराव कर, क्षैत्र में स्थापित चेक पोस्टों पर तैनात बोर्डर होम गार्डो की तैनाती नदी क्षैत्र में तैनात कर, भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि सम्बन्धित नदी क्षैत्र में कही पर भी खनिज बजरी का अवैध खनन न हो साथ ही प्रतिदिन की प्रगति से पूर्व की भाँति प्रगति रिपोर्ट उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगें।

क्र. स.	कार्यक्षेत्र	कर्मचारी / अधिकारी नाम व पद	कार्यदिवस	वाहन एवं वाहन चालक
1	तहसील–गिर्वा / वल्लभनगर / भीण्डर	श्री लोकेन्द्र कुमार सुमन ख.का.द. एव श्री धर्मपाल सिंह राणावत ख.का.दे. (का.अनिखान, उदयपुर–जोन, उदयपुर)	रविवार–सोमवार, मंगलवार	RJ27UA7159 (SMEVigilance Office) श्री असलम
		श्री राजेश शाह, व.ख.का.दे. एवं श्री नगाराम ख.का.दे.	बुधवार–गुरूवार	RJ27UA6105 (Me Office) श्री रेवतसिंह
		श्री अब्दुल मुत्तलिब, ख.का.दे. एवं श्री ओ.पी.मीणा, सर्वेयर (स.ख.अ. ऋषभदेव)	शुक्रवार–शनिवार	RJ27UA6105 (Me Office) श्री सरदार सिंह
2	तहसील–सलूम्बर / लसाडिया	स.ख.अ. सलूम्बर एवं श्री महेश मीणा, ख.का.दे.	गुरूवार–शुक्रवार –शनिवार	RJ27UA5774 (Sme Office) श्री नरूआ
		श्री नारायण गमेती, व.ख.का.दे.	रविवार–सोमवार – मंगलवार–बुधवार	RJ27UA0950 (AME Salumber Office) श्री कैलाश बुनकर

उपरोक्त गठित दलों के कार्य का पर्यवेक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर द्वारा किया जाकर साप्ताहिक रिपोर्ट निदेशालय एवं इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी, साथ ही अधिकारी / कर्मचारी मौके पर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पुलिस थाना एवं तहसीलदार से सहयोग लेंवे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(महेश माथुर)
अतिरिक्त निदेशक(खान)
उदयपुर–जोन, उदयपुर

क्रमांकः–अनिखा / उदय / एनजीटी / 2020–21 / 50–65 दिनांक– 21-1-21
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान), सतर्कता, निदेशालय उदयपुर।
3. अधीक्षण खनि अभियन्ता, उदयपुर–वृत, उदयपुर।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, (सतर्कता), उदयपुर।
5. खनि अभियन्ता, उदयपुर खण्ड, उदयपुर।
6. सहायक खनि अभियन्ता, सलूम्बर ।
7. सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव।
8. सम्बन्धित अधिकारी, तकनीकी कर्मचारी एवं वाहन चालक।
9. रक्षित पत्रावली।

(महेश माथुर)
अतिरिक्त निदेशक(खान)
उदयपुर–जोन, उदयपुर

Scanned with CamScanner

01अक्टूबर 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक अवैध बजरी खनन/परिवहन के सम्बंध में जयसमन्द केचमेन्ट क्षैत्र में दर्ज प्रकरणों का विवरण

अक्टूबर 2020

क. स.	नाम थाना	अवैध बजरी खनन/परिवहन के सम्बंध में दर्ज प्रकरण संख्या मय दिनांक	धारा	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	जब्त वाहनों की संख्या	जब्त सामग्री (टन में)	चालान/एफ.आर./पेण्डिग
1	गींगला	146/20 दिनांक 21.10.20	379 आईपीसी व 3,4 पीडीपी एक्ट, 4/21 एएमडीआर एक्ट, 54,60 एमएमसीआर	0	1	3 टन बजरी	130/20 22.12.20
2	कुराबड़	145/2020 दिनांक 09.10. 2020	379 भादस व 4,21 एमएमआरडी एक्ट 1957 व आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	0	ट्रेक्टर ट्रोली 01	0	116/20 18.11.20
3	कुरावड़	146/2020 दिनांक 09.10. 2020	379 भादस व 4,21 एमएमआरडी एक्ट 1957 व आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	02	ट्रेक्टर ट्रोली 01	4 टन अवैध बजरी	112/20 30.10.2020
4	कुराबड	149/2020 दिनांक 20.10. 2020	143,353,379 भादस व 4,21 एमएमआरडी एक्ट 1957 व आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	0	0	0	124/20 30.11.20

नवम्बर 2020

क. स.	नाम थाना	दर्ज प्रकरण संख्या मय दिनांक	धारा	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	जब्त वाहनों की संख्या	जब्त सामग्री (टन में)	चालान/एफ.आर./पेण्डिग
1	गींगला	154/20 25.11.20	379 आईपीसी व 3,4 पीडीपी एक्ट, 4/21 एएमडीआर एक्ट, 54,60 एमएमसीआर	0	1	—	133/20 25.12.20
2	कुरावड़	154/2020 03.11.2020	379 भादस व 4,21 एमएमआरडी एक्ट 1957 व आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	01	ट्रेक्टर ट्रोली 01	4 टन अवैध बजरी	118/20 19.11.2020

दिसम्बर 2020

क. स.	नाम थाना	दर्ज प्रकरण संख्या मय दिनांक	धारा	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	जब्त वाहनों की संख्या	जब्त सामग्री (टन में)	चालान/एफ.आर./पेण्डिग
1	कुरावड़	173/2020 दिनांक 14.12. 2020	379 भादस व 4,21 एमएमआरडी एक्ट 1957 व आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	02	1	4 टन अवैध बजरी	चालान नं 139/20 दिनांक 31.12.2020
2	कुरावड़	178/2020 दिनांक 27.12. 2020	379 भादस व 4,21 एमएमआरडी एक्ट 1957 व आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60	01	1	4 टन अवैध बजरी	चालान नं 137/20 दिनांक 30.12.2020

Scanned with CamScanner

36
ANNEXURE-6

Item No. 03 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 1086/2018
(Earlier O.A.No.140/2014)

(With report dated 30.09.2020)

Nanga Ram Dangi Applicant

Versus

Secretary, Department of Environment
& Forests & Ors. Respondents

Date of hearing: 06.10.2020

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE S. P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

Applicant:	Ms. Katyayni, Advocate
Respondent:	Ms. Sneha Ravi Iyer, Advocate for State of Rajasthan Ms. Binita Thakur, IG, Udaipur Range, Dr. Kalpana Sharma, DTO Udaipur and Mr. Jinesh Humad, Mining Engineer Udaipur Mr. Raj Kumar, Advocate for CPCB Mr. Rahul Khurana and Mr. Amit Kumar, Advocates in I.A. No. 133/2020 & 134/2020

ORDER

1. The issue involved in this matter relates to illegal mining in the area around Jaisamand lake, District Udaipur in Rajasthan. The applicant filed this Application in the year 2014 with the grievance that by illegal mining, serious damage is caused to the ecology. Illegal mining is happening in eight villages which form the catchment area of the lake. Villages named are Buthel, Bassa, Charmar, Kot, Kharka, Kenpura, Lodha and Utharda. The applicant mentioned that large numbers of cases of illegal mining have been registered which itself shows that the

illegal mining is rampant. Mere registration of cases has not brought about the desired result. The applicant also referred to the order of the Rajasthan High Court dated 21.10.2013 to make Jaisamand Lake area free from mining operations. It was alleged that the concerned Departments were not vigilant enough on account of which the mining continued.

2. The Tribunal considered the matter vide order dated 19.09.2018 and directed the Directorate of Mining and Geology to ensure closing of all illegal mining activities in the catchment area of the lake and give a compliance report to this Tribunal. It was directed that the amount of compensation to be recovered for illegal mining, including the cost of restoration of the ecology, should be utilized by the Divisional Forest Officer for restoration of the environment. The Tribunal also directed Divisional Commissioner, Udaipur and Inspector General of Police, Udaipur to provide requisite assistance for enforcement of law.

3. The matter was thereafter considered in light of the status reports filed from time to time. Reference may be made to the orders dated 08.01.2019, 22.01.2019, 25.02.2019, 13.03.2019, 27.05.2019, 26.08.2019, 16.09.2019, 18.10.2019, 06.11.2019, 20.01.2020, 05.02.2020 and 16.03.2020. By the last order, the Tribunal also directed that concerned officers i.e. IG Police, Udaipur, representatives of Transport and Mining Departments to be present in person.

4. We have taken up the matter in continuation of the earlier proceedings and also perused the action taken report filed on 30.09.2020 by the IG Police, Udaipur. It submits that regular touring was undertaken in the area and drone survey was also conducted.

Videography was done at Gomti River. Meetings were held with the concerned Departments. We have also interacted with the officers present in person.

5. We find that the action taken so far is not adequate and has not resulted in meaningful enforcement of law. It is well acknowledged that illegal mining remains a serious challenge and poses serious threat to the protection of environment which is basic right of the citizens and against the concept of sustainable development. The problem has been considered by this Tribunal in number of cases including O.A. No. 360/2015, *National Green Tribunal Bar Association v. Virender Singh (State of Gujarat)* and other matters connected therewith which were last taken up together on 17.08.2020. The Tribunal had, in light of Expert Committee report, directed issuance of statutory directions under the provision of Environment (Protection) Act, 1986. Reference was made to the judgement of the Hon'ble Supreme Court in *Deepak Kumar Vs. State of Haryana & Ors.: (2012) 4 SCC 629* wherein extent of damage to the environment on account of unscientific mining was noted and requirement of impact assessment and EC was laid down. The Tribunal directed revision of the Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 by the MoEF&CC to introduce effective monitoring mechanism for prevention of illegal mining and other remedial measures, including surveillance system and assessment and recovery of compensation. All earlier proceedings have been noted in the order dated 17.08.2020 in O.A. 360/2015 wherein Gujarat, Karnataka, West Bengal, Punjab, Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan and other States are parties. The directions, apart from introducing Mining Surveillance System in consultation with ISRO, Hyderabad, include demarcation of boundaries of different leases, issuance of SOP, evaluation of loss to the ecology and

assessment of cost of restoration, setting up institutional mechanism for effective monitoring, making provision for restoration of the affected area and compensating the victims, having independent environmental audit by repeating third party and placing such audit report in public domain.

6. The Tribunal also directed that the vehicles involved in the illegal mining should be seized and not released without recovering compensation laid down therein. In that regard, vide order dated 19.02.2020 in O.A. No. 44/2016, *Mushtakeem v. MoEF & CC & Ors.*, following scale of penalty for release of vehicle was laid down and further direction was issued:-

> *"5. Having regard to the above practical difficulty, we modify the orders dated 05.04.2019 and 26.07.2019 as follows:*

Sr. No.	***Category of Vehicle***	***Penalty Amount***
1	*Vehicles/Equipments/Excavators with showroom value more than Rs. 25 lacs and less than 5 years old.*	*Rs. 4 lacs*
2	*Vehicles/Equipments/Excavators with showroom value more than Rs. 25 lacs and more than 5 years but less than 10 years old.*	*Rs. 3 lacs*
3	*For the remaining Vehicles older than 10 years/Equipments/ Excavators which are otherwise legally permissible to be operated and not covered by Serial No. 1 and 2.*	*Rs. 2 lacs*
Note – I:	*On repetition of the offence by the same vehicle/ equipment, Order dated 05.04.2019 will be applicable.*	
Note – II:	*The option of release may be available for a period of one month from the date of seizure and thereafter, the vehicles may be confiscated and auctioned.*	

> *6. The State may issue an appropriate Office Order/Rule to the above effect and publish the same. Needless to say that any private contract between a financer and a debtor cannot affect the States' sovereign power to protect the environment and take incidental coercive measure for enforcement of rule of law. Lien of the State will override any private interest. The above compensation regime will be over and above any existing Rules or provisions. The amount collected may be remitted to the State PCBs/PCCs for being utilized for restoration of the environment.*

7. The above course of action will be permissible to all the States at their option."

7. This Tribunal vide order dated 04.07.2019 in O.A. No. 670/2018, Atul Singh Chauhan v. MoEF&CC & Ors., referred to the legal position based on the law laid down by the Hon'ble Supreme Court that where special procedure is applied for seizure of the vehicle, general procedure under Cr. P.C. for release of the vehicle does not apply.

8. The Tribunal also considered the report of the Expert Committee on compensation and made observations for further revision. The Tribunal noted the new Guidelines of the MoEF&CC called "Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020" which are available on the website of the MoEF&CC. The said matter now stands posted for 14.10.2020.

9. We also note that vide order dated 16.01.2019 in O.A. No. 606/2018, *Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 and other environmental issues,* the Tribunal required the presence of Chief Secretaries of all the States/UTs before this Tribunal with the status report as to compliance status of important environmental issues, including illegal mining. All the Chief Secretaries did appear[1]. In view of continued large scale violation of statutory norms and Supreme Court judgements, mentioned in the order, one of directions was direct monitoring by the Chief Secretaries with the District Magistrates once in a month. For this, the Chief Secretaries were to set up environmental cell directly under them. It is not clear whether this is happening in the State of Rajasthan and whether remedial action against illegal mining is being monitored by the District Magistrates at district level and the Chief

[1] The Chief Secretary of Rajasthan appeared on 16.04.2019 and 31.01.2020

Secretary at the State level. If not, it needs to be done. In the report of the IG or other Departments of Rajasthan, there is no reference to such monitoring. The concerned officers dealing with the enforcement of law do not appear to be aware of significant orders of this Tribunal which is first step for enforcement.

10. In view of above, we direct the Chief Secretary, Rajasthan to consider appropriate course of action in light of various orders passed by this Tribunal and circulate appropriate guidelines at grass root level, particularly the District Magistrates and Superintendents of Police. Electronic Surveillance System said to have been introduced may be reviewed, including requirement of GPS for the vehicles used in transportation and mined materials, CCTV cameras at the hotspots, an App which can be used by any complainant for giving information about illegal activities of this nature and methodology for assessment and recovery of compensation. The mechanism can function preferably under the District Magistrate, with suitable involvement of Mining and Forest Departments and wherever necessary, of the Superintendent of Police and the representative of the State PCB. A grievance redressal portal may be set up at district level. Such mechanism needs to be reviewed from time to time. As already directed, the Chief Secretary may have Environmental Cell directly attached to his Office who may constantly monitor compliance of environmental norms as already directed in O.A. No. 606/2018. The District Magistrates may undertake an initiative for awareness at the Panchayat level by calling an appropriate meeting of the functionaries operating at Panchayat level. Appropriate publicity about the guidelines evolved may be done at the grass root level so that aggrieved citizens can make their complaints and also there is

community involvement in enforcement of law. The District Magistrates may allocate a particular authorized officer to deal with applications for release of vehicles consistent with the directions of this Tribunal.

11. Accordingly, we defer further proceedings in the matter to 14.10.2020 when other matters are listed for hearing. Learned Counsel for the State of Rajasthan may communicate this order to the Chief Secretary, Rajasthan and take instructions about the latest steps taken in the matter.

In view of above, applications filed for releasing vehicles may now be dealt with by the concerned District Magistrates or as per mechanism which may be evolved on the pattern of such existing mechanism in some other States, including Haryana and UP.

I.A. No. 133/2020 & I.A. No. 134/2020 will stand disposed of.

List for further consideration on 14.10.2020.

A copy of this order be sent to the Chief Secretary, Rajasthan, Inspector General of Police, Udaipur and the District Magistrates by e-mail for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

S. P. Wangdi, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

October 06, 2020
Original Application No. 1086/2018
(Earlier O.A.No.140/2014)
(I.A. No. 133/2020 & I.A. No. 134/2020)
SN

Gmail

Hari Krishnan <krishnanpriya1984@gmail.com>

RE: NANGARAM DANGI -VS- SECRETARY DEPARTMENT OF E. & F AND ORS (REPORT)

1 message

Hari Krishnan <krishnanpriya1984@gmail.com>
To: Katyayni Chaubey <katyaynichaubey986@gmail.com>

Fri, Feb 19, 2021 at 1:22 PM

Respected Sir,

Please find attached a copy of the Report in the matter of Nangaram Dangi Vs. Secretary Department of E & F and ors in O.A.No.1086 of 2018.

Regards,

--

S. ARIKRISHNAN
OFF:E-306, EAST OF KAILASH
NEW DELHI-110 065
(M):9717108758

NANGARAM DANGI (REPORT FINAL).pdf
6730K